एनडीआईएस कमीशन कब शुरू होगा?

एनडीआईएस कमीशन शुरू होगा:

1 जुलाई 2018 को न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया में

1 जुलाई 2019 को ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टैरिटरी, नॉर्दर्न टेरीटरी, क्वींसलैंड, टस्मानिया और विक्टोरिया में

1 जुलाई 2020 को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में

प्रत्येक स्टेट या टेरीटरी में एनडीआईएस कमीशन के स्थापित होने तक, एनडीआईएस प्रतिभागी, प्रदाता और कामगार अपने स्टेट या टेरीटरी की मौजूदा गुणवत्ता और बचाव प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं।

हमसे संपर्क करें

ईमेल: feedback@ndiscommission.gov.au
कॉल: 1800 035 544

और अधिक जानें

एनडीआईएस कमीशन के बारे में अधिक जानकारी, प्रदाताओं और प्रतिभागियों के लिए संसाधन समेत, www.ndiscommission.gov.au स्थित एनडीआईएस कमीशन वेबसाइट पर उपलब्ध है

NDIS Quality and Safeguards Commission

एनडीआईएस गुणवत्ता और बचाव कमीशन के बारे में

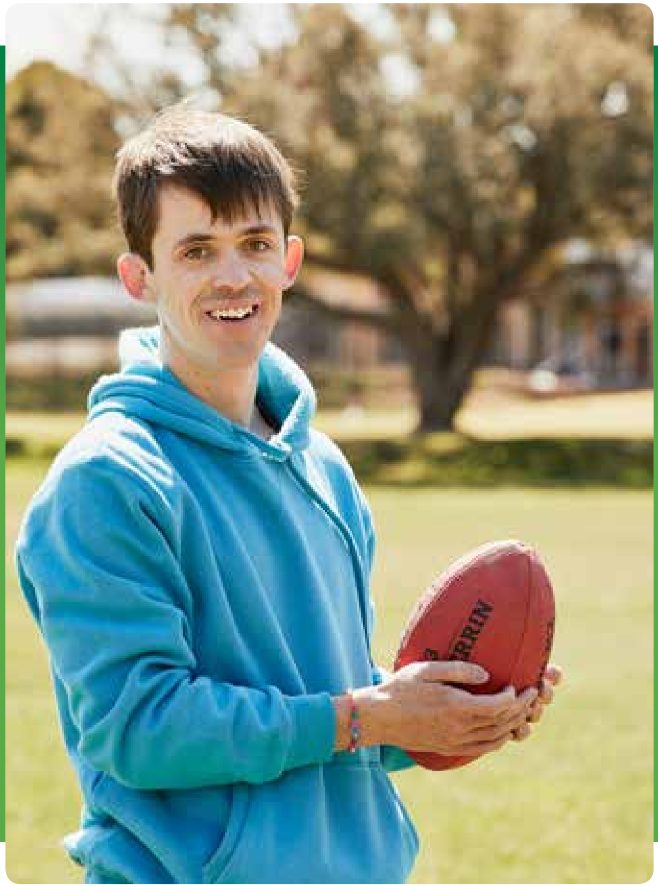

एनडीआईएस में गुणवत्ता और बचाव के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण

एनडीआईएस गुणवत्ता और बचाव कमीशन (एनडीआईएस कमीशन) एक स्वतंत्र सरकारी संस्था है जो एनडीआईएस सेवाओं और सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर करने, समस्याओं की जाँच-पड़ताल और समाधान करने, तथा प्रदाताओं और प्रतिभागियों के कौशल और ज्ञान को सशक्त करने का कार्य करती है।

पूर्ण रॉल आउट के बाद, एनडीआईएस कमीशन एनडीआईएस में गुणवत्ता और बचाव के प्रति एक नया, राष्ट्रीय रूप से समान दृष्टिकोण प्रदान करेगा। कमीशन यह हासिल करने के लिए प्रदाताओं, अक्षमता वाले लोगों और उनके देखभालकर्ताओं, परिवार के सदस्यों के साथ काम करेगा।

एनडीआईएस कमीशन किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है?

एनडीआईएस कमीशन:

- एनडीआईएस प्रदाताओं को पंजीकृत और नियंत्रित करता है तथा प्रदाता गुणवत्ता पर नज़र रखता है
- एनडीआईएस कार्यप्रणाली मानकों और एनडीआईएस आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी करता है
- चिंताओं, शिकायतों और रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है
- प्रदाताओं को आंतरिक शिकायत प्रबंधन और प्रतिभागियों को शिकायत करने के बारे में सलाह देता है
- प्रदाताओं को घटना प्रबंधन प्रणाली और इस बात पर सलाह देता है कि एनडीआईएस कमीशन को गंभीर घटनाओं की रिपोर्ट कैसे करें
- अक्षमता वाले लोगों, एनडीआईएस प्रदाताओं और कामगारों के कौशल और ज्ञान को सुधारने के लिए उनके साथ काम करता है
- प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणालियों के उपयोग की निगरानी करता है तथा प्रदाताओं और प्रतिभागियों को आचरण समर्थन रणनीतियों के बारे में शिक्षित करता है
- राष्ट्रीय रूप से समान एनडीआईएस कामगार स्क्रीनिंग तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए स्टेट्स और टेरीटरीज़ के साथ काम करता है
- ध्यान देने की जरूरत वाले बाजार के परिवर्तनों की निगरानी करके बाजार को चौकसी प्रदान करता है
- अन्य नियामक संस्थाओं के साथ जानकारी साझा करता है

एनडीआईएस कमीशन प्रतिभागियों के लिए क्या करता है?

आपके पास सुरक्षित महसूस करने और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार होता है।

एनडीआईएस कमीशन के पूरी तरह से रॉल आउट हो जाने के बाद, भले ही आप कहीं भी रहते हों, आप उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित सेवाओं की अपेक्षा कर पाएँगे।

हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रदाता और कामगार गुणवत्ता और सुरक्षा के नियमों को जानते हों और उनका पालन करते हों।

प्रदाताओं और कामगारों के लिए **एनडीआईएस आचार संहिता** और **एनडीआईएस कार्यप्रणाली मानक** एनडीआईएस में सेवाओं और सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा के स्पष्ट और लागू करने योग्य मानक प्रदान करते हैं।

यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं या अपनी सेवाओं से खुश नहीं हैं तो हम आपको शिकायत करने में सहायता कर सकते हैं। आवाज उठाना हमेशा बढ़िया होता है।

अक्षमता वाले लोग, या कोई भी अन्य व्यक्ति, एनडीआईएस कमीशन को एनडीआईएस सेवाओं और सहायता के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है और उनका आकलन किया जाता है। एनडीआईएस कमीशन समस्याओं का समाधान करने के लिए और एनडीआईएस सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए प्रतिभागियों, प्रदाताओं और कामगारों के साथ काम करता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि किससे संपर्क करें, तो एनडीआईएस कमीशन आपको सही संगठन से संपर्क करने में मदद करेगा।

एनडीआईएस कमीशन प्रदाताओं और कामगारों के लिए क्या करता है?

हम ऑस्ट्रेलिया व्यापी एनडीआईएस प्रदाताओं के लिए एक अधिनियम और पंजीकरण का प्रबंध करते हैं।

जब यह सभी स्टेट्स और टेरीटरीज़ में काम करने लगेगा, एनडीआईएस कमीशन एनडीआईएस प्रदाताओं के लिए **एकल, राष्ट्रीय पंजीकरण और नियामक प्रणाली** प्रदान करेगा जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में गुणवत्ता और बचाव के प्रति समनुरूप दृष्टिकोण तय करेगा।

एनडीआईएस गुणवत्ता और बचाव नियम गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए आवश्यकताएँ तय करता है।

सभी एनडीआईएस प्रदाताओं और कामगारों को **एनडीआईएस आचार संहिता** का पालन करना चाहिए, जो आचरण, संस्कृति और सेवा वितरण के लिए अपेक्षाएँ तय करती है।

एनडीआईएस कमीशन के साथ पंजीकृत होने वाले प्रदाताओं को **एनडीआईएस कार्यप्रणाली मानकों** का पालन करना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा डिलीवर की जाने वाली सेवाओं और सहायता की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अपेक्षाएँ शामिल हैं।

एनडीआईएस कमीशन की गुणवत्ता और बचाव प्रणाली में **शिकायत प्रबंधन, घटना प्रबंधन, कामगार स्क्रीनिंग, आचरण सहायता और प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणालियों के उपयोग** के लिए भी आवश्यकताएँ शामिल हैं। यह प्रदाताओं के साथ काम करता है और उन्हें उनकी बाध्यताएँ समझने में मदद करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

जहाँ प्रदाता या कामगार अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, एनडीआईएस कमीशन शिक्षाप्रद, सुधारात्मक या प्रवर्तन कार्यवाही कर सकता है।

हम अधिनियमों को अनुपात में लागू करते हैं, सबसे गंभीर उल्लंघनों के लिए सबसे सख़्त कार्रवाई की जाती है।